माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

डॉ. मधु खरे
सचिव

कार्या.– (0755) 2559923
फैक्स – (0755) 2552061

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

क्रमांक–**252** / पस / दि.18.8.2011

प्रिय प्राचार्य,

शैक्षणिक सत्र 2011–2012 के लिये मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएँ। मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओ में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश / परीक्षा के संबध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख के रूप में प्राचार्य का होता है। इस वर्ष प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची सी डी में मण्डल वेवसाईड पर उपलब्ध फारमेट के अनुसार तैयार कर प्रेषित की जाना है। प्रवेश / परीक्षा के संबंध में दिये गये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है:–

प्रवेश प्रक्रिया

(1) प्रवेश सूची
कक्षा 9वीं, से 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरांत प्रवेश होने वाले छात्रों की प्रवेश सूची निर्धारित प्रारूप में मण्डल मुख्यालय में 30 अगस्त 2011 तक प्राप्त हो जाना चाहिये।

(2) पूरक प्राप्त छात्र –
वर्ष 2011 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित छात्र जिसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो तो उसे अगली कक्षा मे प्रावधिक **(Provisional)** प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर पुनः पिछली कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जा सकता है। नियत दिनांक से पूर्व ऐसे छात्रों को कक्षा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

(3) अर्हकारी परीक्षा –
(3.1) किसी भी छात्र को कक्षा 9वीं,10वीं,11वीं अथवा 12वीं में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति क्रमशः 8वी, 9वी, 10वीं एवं 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
(3.2) वर्ष–2011 में कक्षा 9वीं,10वीं,11वीं एवं 12वीं में **अनुत्तीर्ण** छात्र भी नियमित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(4) श्रेणी सुधार –
नियमित छात्र के रूप से श्रेणी सुधार / अंक सुधार हेतु ऐसे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो मण्डल की 2009–10 एवं 2010–11 की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हों। इस योजना के अधीन केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इस योजना में विषय परिवर्तन मान्य नहीं है। अंक सुधार हेतु सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षाफल न्यूनतम 10 अंकों की वृद्वि होने अथवा 10 अंको से कम की वृद्वि होने पर भी श्रेणी परिवर्तन होने पर ही नवीन रूप से तैयार किया जावेगा, तथा पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त करने पर नवीन अंकसूची प्रदान की जावेगी। अन्य राज्य के बोड में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को श्रेणी सुधार हेतु आवेदन की पात्रता नहीं रहेगी।

(5) विषय / माध्यम परिवर्तन –
कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठयक्रमानुसार होना आवश्यक है। परीक्षा फार्म / डाटा शीट / ऑनलाईन से किये गये आवेदन के चयनित विषय / माध्यम में निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक **30.11.2011** तक परिवर्तन किया जा सकेगा।

(6) कमी उपस्थिति –
मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। इस उपस्थिति में मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। कम उपस्थिति वाले छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगे। कमी उपस्थिति के कारण नियमित परीक्षार्थियों के रूप में बैठने की पात्रता न रखने वाले परीक्षार्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षार्थी के रूप में बैठने की अनुमति अतिरिक्त शुल्क रू0 20/– अदा करने पर स्वाध्यायी में परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसे छात्रों की सूची अनुक्रमांक सह संस्था प्राचार्य दिनांक **31 जनवरी 2012** तक अनिवार्य रूप से मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेगें।

(7) स्थानांतरण प्रकरण –
किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था मे उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो । इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की अनुमति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा **31.12.2011** तक दी जा सकेगी। इसके बाद अनुमति हेतु मण्डल मुख्यालय में सचिव को प्रेषित की जाए। परिवर्तन की सूचना प्राचार्य तत्काल सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल को देगें।

(8) अन्य राज्यों / बोर्डो के छात्रों का म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश –
अन्य समकक्षता प्राप्त बोर्ड के छात्र जो क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं की परीक्षा वर्ष 2011 में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हो यथास्थिति कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं में सीधे प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे छात्रों के प्रवेश संबंधी पात्रता अभिलेख एवं ग्राहयता शुल्क सहित प्राचार्य के माध्यम से संबंधित संभागीय कार्यालय में **प्रवेश सूची के साथ** जमा किये जा सकते है। **CBSE बोर्ड की इस वर्ष 2011 में कक्षा 10वीं (लोकल) स्थानीय परीक्षा उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण छात्रों को यथास्थिति नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।**

(9) नामांकन –
मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेशित ऐसे छात्र जिनका पूर्व में नामांकन नहीं हुआ है एवं अन्य बोर्ड / राज्यों के छात्रों के नामांकन संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा **30 सितम्बर** तक किये जा सकेगें। नामांकन आवेदन पत्र शुल्क रू. 5/– तथा नामांकन शुल्क रू. 80/–प्रति छात्र होगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर परीक्षा संबंधी निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जा रहे है

(A) कक्षा 10वीं 12वीं के लिये परीक्षा फार्म संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरवाये जायेगें, और सितम्बर माह के अंत तक मण्डल को अग्रेषित किये जायेगें।

(B) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें उनकी शाला में कक्षा 10वी एवं 12वीं के परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों की सूची एवं कुल संकायवार जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर एव मण्डल को 15 अक्टूबर 2011 तक भेजेगें।

(C) जिला योजना समिति प्रत्येक वर्ष अक्टूबर–नवम्बर माह में केन्द्र निर्धारण के संबंध में अपनी बैठक आयोजित कर अपनी अनुशंसायें 30 नवम्बर तक मण्डल को प्रेषित करेगी। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के पश्चात कतिपय स्थानों से समस्यायें तथा नियम विरूद्व परीक्षा केन्द्र बनाने का उल्लेख करते हुय परीक्षा केन्द्र संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होतें है। अतः यह उचित होगा कि जिला स्तर से परीक्षा केन्द्रों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव भेजने के पूर्व जिला स्तर पर ही उनकी अंतरिम सूची प्रकाशित की जाए तथा आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका नियमानुसार उचित निराकरण करते हुए परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित मण्डल को भेजा जाए। **मुख्यतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जायः–**

(C-1) गतवर्ष के ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनमें सामूहिक नकल, नकल के अनेक प्रकरण बनाये गय अथवा बडी संख्या में नकल की पर्चियां बिखरी हुयी पाई गयी, को परीक्षा केन्द यथासंभव नहीं बनाये जाय।

(C-2) परीक्षा केन्द्रों का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सम्बद्ध शाला से प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र की दूरी कम से कम होनी चाहिये शहरी क्षेत्र में यह दूरी अधिकतम 5 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में यथासंभव अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर हो।

(C-3) जिस शाला को परीक्षा केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है उसमे अध्ययनरत् छात्रों को उस परीक्षा केन्द्र में शामिल न किया जाए।

(C-4) केन्द्र की क्षमता निर्धारित करते समय जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला योजना समिति केवल आच्छादित (कवर्ड) स्थान को तथा परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रायोजन के लिये उसमें समाहित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर विचार करेगें। केन्द्र की क्षमता के साथ ही उस परीक्षा केन्द्र मे शामिल होने वाले स्कूलों के छात्रों की संख्या परीक्षा केन्द्र से उसकी दूरी भी उल्लेखित की जाय तथा जिला योजना समिति में भी सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाय।

(C-5) किसी भी दशा में शामियाना लगाकर मण्डल परीक्षाओं का आयोजन न किया जाय, क्योंकि इस व्यवस्था से प्राकृतिक आपदाओं को दूर नहीं किया जा सकता।

(C-6) जिला योजना समिति द्वारा केन्द्र के निर्धारण के लिये अपनी सिफारिशें भेजे जाने पर बोर्ड केन्द्र की सूची का अंतिम रूप से निर्धारण 31 दिसम्बर तक करें, जिसकी सूचना एवं प्रकाशन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय अधिकारी सहित जिले के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, चूंकि परीक्षा केन्द्र निर्धारण के संबंध में बोर्ड अंतिम प्राधिकारी है, और यदि बोर्ड समिति की अनुशंसाओं से सहमत नहीं होता है तो तार्किक कारण देते हुए केन्द्र परिवर्तन कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में 31 दिसम्बर के बाद परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(C-7) संबंधित प्राचार्य द्वारा 31 जनवरी तक केन्द्र के निर्धारण बावत सूचना विद्यार्थियों को दी जायेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/253/परीक्षा समन्वय/2011 **भोपाल, दिनांकः 18/ 08/2011**

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनुसूचित जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
3 आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
4 आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6 संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
7 समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश।
8 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9 संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
10 सहायक आयुक्त ,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12 आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधिकारी/समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
13 पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी/सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
14 नि.स.–अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15 प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
16 लोक सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल
17 संचालक एम.पी.ऑन लाईन मध्यप्रदेश।
18 विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

शिक्षण सत्र 2011–2012 के लिए
निर्धारित शुल्क

हाईस्कूल परीक्षा हेतु:–

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क (नामांकन,अंकसूची शुल्क, प्रायोगिक शुल्क)	नियमित एवं स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय)	500/–

हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा हेतु:–

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क (नामांकन, अंकसूची शुल्क सहित)	नियमित एवं स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय) संपूर्ण विषयो के साथ (एक विषय) अतिरिक्त केवल एक विषय अतिरिक्त	500/– 150/– 150/–

अन्य शुल्क :–

1.	ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	200/– रूपये
2.	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क	100/– रूपये
3.	विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क	100/– रूपये
4.	अग्रेषण शुल्क स्वाध्यायी छात्रों हेतु	15/– रूपये
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कोरी डाटाशीट/आवेदन पत्र(नियमित/स्वाध्यायी)	30/– रूपये

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक/डी एड (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी	नियमित एवं स्वाध्यायी (प्रति विषय)	150/–
2	हायर सेकण्डरी व्यावसायिक /डी एड (द्वितीय अवसर)	प्रति विषय	200/–

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश
भोपाल

माशिमंभो–127–परीक्षा समन्वय–21.08.2011–13,000

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / परीक्षा / समन्वय / 257 / 2011 भोपाल दिनांक 2[illegible] अगस्त 2011

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय :— कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रवेश सूचियों को प्रेषित किये जाने विषयक

संदर्भ:— इस कार्यालय का प्रवेश संबंधी मार्गदर्शिका क्रमांक 252 / पस / दिनांक 18.8.2011,

—::0::—

संदर्भित पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिए कक्षा 10 वी एवं 12 वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2011 के उपरान्त छात्रों की प्रवेश सूची मण्डल मुख्यालय में प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये हैं । **प्रवेश सूचियां माध्यमिक शिक्षा मण्डल में आन लाईन तथा आफ लाईन (मैन्युअल) दोनो प्रकार से भेजी जा सकती हैं ।** जिला मुख्यालय से भिन्न ऐसे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों जहां विद्युत लाईन / एम.पी. ऑन लाईन के कियोस्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मान्यता प्राप्त संस्थायें उनकी शालाओं में निर्धारित तिथि तक कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रवेश सूचियां संलग्न निर्धारित प्रारूप में जोकि मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, उसमें सम्पूर्ण एवं सही रूप में भरकर प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षर सहित उनके क्षेत्र के मण्डल के संभागीय कार्यालय में विशेष वाहक के माध्यम से **दिनांक 30—8—2011** तक अनिवार्य रूप से जमा करायें ।

ऑन लाईन प्रवेश सूची :— जिला स्तर के तथा अन्य स्थानों के ऐसे समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएं जहां विद्युत लाईन / एम. पी. ऑन लाईन के कियोस्क की सुविधा उपलब्ध है, कक्षा 10 एवं 12 वीं में निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2011 तक प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रवेश सूची दिनांक 30.8.2011 तक एम.पी.ऑन लाईन के कियोस्क के माध्यम से अपलोड कराई जाये ।

ऑन लाईन प्रवेश सूची के लिये निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाये :—

1 प्रवेश सूची की प्रविष्टि के लिए मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in अथवा www.mponline.gov.in पर दी गई excel format की फाईल डाउनलोड करें। प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है कि वे excel format की डाउनलोड की गई फाईल मे ही चाही गई संपूर्ण जानकारियों की प्रविष्टियों करे।

1.1 प्रत्येक संस्था उक्त excel format की डाउनलोड की गई फाईल को अपने कम्प्यूटर मे कापी करने के उपरांत फाईल मे चाही गई जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, नामाकन, कमाक, माध्यम एवं विषयो की जानकारी की प्रविष्टियॉं करेगें। फाईल डाउनलोड हेतु कोई राशि देय नही होगी।

1.2 फाईल मे प्रविष्टि करने के उपरातं प्रवेश सूचियॉं निकटस्थ mponline kiosk पर जाकर अपलोड की जाएगी। इस हेतु kiosk को प्रति कक्षा रू 20 / — की राशि देय करना होगा।

1.3 यहां विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है कि निर्धारित वेब साइट से डाउनलोड की गई excel format की फाईल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप मे तैयार की गई फाईल अपलोड नही होगी। तथा यदि excel format की फाईल में चाही गई समस्त प्रविष्टियॉं नही की जाती है तो भी फाईल mponline kiosk पर अपलोड नही हो पाएगी। अतः फार्मेट में जानकारी पूर्ण रूप से भरी जाए ।

चूंकि ऑन लाईन प्रविष्टि एक बार अपलोड होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है इसलिये ऑन लाईन प्रविष्टि के पूर्व संस्था प्रमुख प्रवेश लेने वाले छात्रों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय एवम् अन्य विवरण भलीभान्ति जाच कर उसके उपरान्त ही प्रवेश सूचियां एम.पी. ऑन लाईन के कियोस्क के माध्यम से अपलोड करें ।

निर्धारित तिथि तक प्रवेश सूचियों का डाटा मण्डल को प्राप्त न होने की स्थिति मे यह माना जावेगा कि आपके द्वारा प्रवेश सूचिया जमा नहीं की गई है। प्रवेश सूचिया अप्राप्त होने की स्थिति में संस्थाओं को वर्ष 2012 की परीक्षा के आवेदन पत्र एवं डाटा शीट्स मण्डल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाऐगें।

प्रवेश सूची के साथ संस्था में कक्षा 9, 10, 11 एवम् 12 के छात्रों की विषयवार छात्रसंख्या भी इकजाई रूप से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30.8.2011 तक प्रेषित की जाये ।

(डॉ. मधु खरे)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमशः.........(2)

क्रमांक / परीक्षा / समन्वय / 258 / 2011 : भोपाल दिनांक 21 अगस्त 2011

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, / सचिव म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / आदिमजाति / अनु. जा. क. विभाग, मंत्रालय भोपाल

2: विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3: संभागायुक्त, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश
4: आयुक्त, लोक शिक्षण,
5: आयुक्त,आदिवास विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.
6: आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र.
7: समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
8: समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचालय मध्यप्रदेश
9: समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा मध्यप्रदेश
10: समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
11: समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
12: आंचलिक / संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
13: समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डलस मध्यप्रदेश
14: निज सचिव अध्यक्ष / सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
15: संचालक, एम पी आन लाईन मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंमुभो–127–परीक्षा समन्वय–21.08.2011–13,000

प्रवेश सूची का प्रारूप

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

(शिक्षण सत्र 2011–12 की कक्षा .... की प्रवेश सूची) **(Class IXth, Xth, XIth & XIIth)**

शाला का नाम
(हिन्दी में) .... शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....
(अंग्रेजो के केपीटल अक्षरों में) .... School Code .... Rural/Urban ....

स.क्र.	नामांकन क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा माध्यम	वर्ग (SC/ ST/OBC OTHER)	भाषा समुह की भाषायें / कोड			अनिवार्य विषय / समुह की भाषायें कोड			अतिरिक्त विषय यदि लिया हो तो विषय कोड
								(I)	(II)	(III)	(I)	(II)	(III)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							कुल प्रवेशित छात्र							

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी शालेय अभिलेख के अनुसार सही है।

दिनांक –

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

1 – प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप मे यदि किसी शाला मे कक्षा 10वी के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमाक 1 से 395 तक रहेगा।

3– कक्षा 11वी एव 12वीं मे विषय समूह के कालम मे "कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान" मे से जो भी लागू हो वह कोड सहित अंकित किया जावें।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,भोपाल

संस्थागत छात्रों की संख्या एवं विषयवार संख्या का एकजाई विवरण

[illegible]

Class IXth, Xth, XIth & XIIth)

शिक्षण सत्र 2011–12

कक्षा ....

शाला का नाम
(हिन्दी में) .... शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....
(अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .... School Code .... Rural/Urban ....

		प्रथम भाषा (विशिष्ट)				द्वितीय भाषा (सामान्य)				तृतीय भाषा (सामान्य)				अनिवार्य / डायवर्सीफाईड विषय									अतिरिक्त विषय			अन्य विषय
विषय कोड ⟶																										
छात्रों की संख्या माध्यमवार	हिन्दी माध्यम																									
	अंग्रेजी माध्यम																									
	उर्दू माध्यम																									
	कुल योग																									

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित